संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/08/जबलपुर/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल, दिनांक:- /2018

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला जबलपुर (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश,
   जिला कार्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   जिला जबलपुर (म.प्र.)।
4. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)।
   जिला जबलपुर (म.प्र.)।

विषय:- जबलपुर विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत् ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्रमांक 2762 /टीसी/08/जबलपुर/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल, दिनांक:- 19/3 /2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

AB70 3/5 21/5

C:\Users\Mansi\Desktop\TC Upantaran\Jabalpur.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 18 / 5 /2018

क्रमांक 2758 /उपां/टीसी/जबलपुर/2017 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक,नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	तिलहरी तह. जबलपुर जिला जबलपुर	200/1	30.106 मे से 2.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु)
2.	तिलहरी तह. जबलपुर जिला जबलपुर	230	14.119 मे से 2.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु)
		योग:-	4.00 हेक्टेयर		

शर्त- 1. किसी भी प्रकार की जल-मल निकासी तालाब की ओर प्रवाहित न की जावे।

2. स्थल पर पहुँच हेतु न्यूनतम 7.50 मी. चौड़ा पहुँच मार्ग आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर आयुक्त सह संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

C:\Users\Mansi\Desktop\TC Upantaran\Jabalpur.docx

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. 18 / 5 /2018

No. 2758 /08/CL/TC/Jabalpur/2017 In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Jabalpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Suvery No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Tilhari Tehsil Jabalpur Drist. Jabalpur	200/1	2.00 out of 30.106 Hect	Agriculture	Residential (For Atal ashraya Yojana)
2.	Tilhari Tehsil Jabalpur Dirstrict Jablapur	230	2.00 out of 14.119Hect.	Agriculture	Residential (For Atal ashraya Yojana)
		Total:-	4.00 Hect.		

Condition:- 1. No sewerage shall be discharged towards the lake.

2. The approach road shall be minimum 7.50 Mt. wide.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District Jabalpur as well as on the web site www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Commissioner cum Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director Town and Country Planning, District office Jabalpur, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Commissioner cum Director.

(Gulshan Bamra)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal